## कार्यालय जनपद पंचायत साईखेड़ा

साईखेड़ा दिनांक 20/06/2022

कमांक / १२ ९ / लो० सू०अधि० / २०२२ – २३

श्री रंजीत सिंह तोमर राष्ट्रीय मानव अधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो सांईखेड़ा

विषय-:

द्वितीय अपील के पूर्व जानकारी प्रदाय बावत्।

संदर्भ-:

द्वितीय अपील कमांक A-161/SIC/NARSINGHPUR/2022/ 6604 भोपाल

दिनांक 30/05/2022

----000-----

इस कार्यालय के पत्र कमांक/2361/लो०सू०अधि०/2021 साईखेड़ा दिनांक 23/12/2021 द्वारा आपको जानकारी प्रदाय की गई थी जो पुनः समझाते हुए प्रदाय की जा रही है।

1. बिन्दू कमांक 01— जनपद पंचायत साईखेड़ा द्वारा वर्ष 2019—20 से 2020—21 तक कुल प्रकरण 749 जिसमें 5000 रूपये प्रति हितग्राही के मान से कुल 749x5000 = 3745000 राशि का भुगतान हुआ।

2. बिन्दू कमांक 02 में चाही गई जानकारी पब्लिक डोमेन पर Sambal.mp.gov.in portal पर उपलब्ध है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, की धारा 4(2) के निर्देशानुसार उक्त समस्त जानकारी इन्टरनेट पर प्रकाशित की गई है जिससे कि जनता को सूचना प्राप्त करने के लिये इस अधिकार का कम से कम अवलम्ब हो।

उक्त सूची इन्टरनेट से निकाल कर प्रस्तुत की गई है। जो कि संलग्न है। उक्त बिन्दू में श्रमिक के "आधार" संबंधी जानकारी भी चाही गई है जो प्रकाशित नहीं है। अतः उपलब्ध नहीं कराई जा सकती।

- 3. बिन्दु कमांक 03— अंत्येष्टि की राशि शासन के निर्देशानुसार पंचायत के बैंक खाते में डाली जाती है जो कि पंचायत सचिव के द्वारा नामित व्यक्ति को प्रदाय की जाती है। मध्यप्रदेश राजपत्र श्रम विभाग कमांक 210] भोपाल, शनिवार, दिनांक 31 मार्च 2018—चैत्र 10, शक 1940।
- 4. बिन्दू कमांक 04— उक्त योजना का लाभ जनपद पंचायत द्वारा नहीं दिया जाता और न ही यह जानकारी है कि किस विभाग द्वारा दिया जाता है। अतः जानकारी उपलब्ध नहीं है।

संलग्न-ः बिन्दू कमांक (2) व

बिन्दू कमांक (2) की जानकारी पोर्टल अनुसार सूची।

लोक सूचना अधिकारी मु.का. अधिकारी जनपद पंचायत सांईखेड़ा सांईखेड़ा दिनांक-2 / 06 / 2022

पृ० कमांक / १२ ९८ / लो०सू०अधि० / २०२२ – २३ प्रतिलिपि –:

 माननीय राज्य सूचना आयुक्त महोदय, राज्य सूचना आयोग भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।

> लोक सूचना अधिकारी मु.का. अधिकारी जनपद पंचायत सांईखेडा